अत्यावश्यक

नगरपालिका आम/उप-निर्वाचन, 2023

राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार

STATE ELECTION COMMISSION, BIHAR

सत्यमेव जयते

पत्र संख्या- न0नि0 50-16/2022 – 2202

प्रेषक,

मुकेश कुमार सिन्हा,
सचिव,
राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार।

सेवा में,

सभी जिला दण्डाधिकारी-सह-
जिल निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका)
(कैमूर, जहानाबाद, अरवल, मधेपुरा, कटिहार, शेखपुरा एवं बेगुसराय जिला को छोड़कर)

पटना, दिनांक – 8.6.2023

विषय : नगरपालिका आम/उप निर्वाचन, 2023 – Facial Recognition System द्वारा मतदाताओं के सत्यापन के समय छद्म मतदाता की पहचान साबित होने पर की जाने वाली कार्रवाई के संबंध में।

प्रसंग : आयोग का पत्रांक 2146 दिनांक 06.06.2023

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि प्रासंगिक पत्र द्वारा नगरपालिका आम/ उप निर्वाचन, 2023 के निमित्त मतदान को स्वच्छ, निष्पक्ष एवं पारदर्शीपूर्वक कराये जाने की दिशा में मतदाताओं की पहचान का सत्यापन एवं मतदाताओं के प्रतिरूपण पर रोक लगाने के उद्देश्य से Facial Recognition System का उपयोग करने हेतु विस्तृत दिशा-निर्देश दिये गये हैं।

विदित हो कि **मतदाता द्वारा मत देने के अधिकार को मौलिक अधिकार माना गया है।** सही मतदाता के **मत को संरक्षित** किया जा सके एवं बोगस मतदान/ बुथ कैप्चरिंग/ Booth riging जैसे Fraudulent activity द्वारा उनके मत का मतहरण को रोके जाने के उद्देश्य से मतदान केन्द्र पर मतदाताओं के पहचान हेतु Facial Recognition System (FRS) का उपयोग किया जा रहा है।

उक्त परिप्रेक्ष्य में आयोग द्वारा निर्देश दिया जाता है कि –

यदि पीठासीन पदाधिकारी को अपने जाँच में यह साबित हो जाता है कि मतदाता किसी अन्य मतदाता के स्थान पर मतदान करने हेतु उपस्थित हुआ है या मतदाता द्वारा किसी अन्य मतदान केन्द्र पर मताधिकार का प्रयोग पहले किया जा चुका हो, तो पीठासीन पदाधिकारी उक्त मतदाता के विरूद्ध **भारतीय दण्ड संहिता की धारा–171 D "मतदाता प्रतिरूपण" तथा 171 F "मतदाता प्रतिरूपण के आरोप में दण्ड" तथा बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 की धारा 462(3) के तहत** उक्त मतदाता को मतदान केन्द्र पर उपस्थित सुरक्षा बलों/ स्थानीय थाना को विधिक कार्रवाई हेतु सुपुर्द कर दिया जायेगा।

अनुरोध है कि तत्संबंधी निदेश से संबंधित निर्वाची पदाधिकारी एवं सहायक निर्वाची पदाधिकारी के साथ-साथ सभी संबंधित को अवगत कराने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन,

08/6/23

सचिव।
राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार।

8.6.23

Sone Bhawan, Third Floor, Birchand Patel Marg, Patna - 800 001 Phone : 2506826, 2506917, 2506844, 2506994 Fax : 0612 - 2507847 E-mail : secbihar@gmailcom
D:\pm5\NGR_E.Sanchalan_22..pmd\346

ज्ञापांक - न0नि0 50-16/2022 – 2202 पटना, दिनांक – 8.6.23

प्रतिलिपि, आई.टी. मैनेजर को आयोग के वेबसाईट पर पत्र अपलोड कराने हेतु प्रेषित।

08/6/23

सचिव।

ज्ञापांक - न.नि. 50-16/2022 - 2202 पटना, दिनांक – 8.6.23

प्रतिलिपि, सभी प्रमण्डलीय आयुक्त को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

08/6/23

सचिव।

ज्ञापांक - न.नि. 50-16/2022 - 2202 पटना, दिनांक – 8.6.23

प्रतिलिपि, अपर मुख्य सचिव, नगर विकास एवं विभाग, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

08/6/23

सचिव।